

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1943 (श0) (सं0 पटना 310) पटना, वृहस्पतिवार 22 अप्रील 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना 22 अप्रील 2021

सं० 02 / ई0—परिवहन—06 / 2018 परि0**—2673**—बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992 के नियम—64 के उपनियम—14(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नियम के उपनियम—(4) को निम्नरुप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

- 4(क) उपर्युक्त अधिमान निबंधन संख्या का आवंटन पारदर्शी तरीके से ऑनलाईन निलामी (ई० निलामी) के माध्यम से की जायेगी एवं इसके लिए कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
- 4(ख) (i) विभाग द्वारा अधिसूचित मनपसंद निबंधन संख्या वाहन विक्रेता द्वारा वाहन क्रेता को नये वाहनों हेतु लेने के लिए प्रोत्साहित करने एवं मनपसन्द निबंधन संख्याओं की बिक्री कराये जाने पर वाहन बिक्रेताओं को प्रत्येक ग्रुप के लिए निम्नलिखित दर एवं शर्त्त पर विभाग द्वारा अलग से प्रोत्साहन राशि (Incentive) दिया जायेगा :—

मनपसंद निबंधन संख्या	तीन माह में न्यूनतम बुकिंग	प्रोत्साहन राशि
क्रo संo (b)	10	आधार शुल्क का 5%
क्र0 सं0 (c)		आधार शुल्क का 5%
क्रo संo (d)	15	आधार शुल्क का 7%
क्र0 सं0 (e)		आधार शुल्क का 7%

Note- उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बुकिंग से अधिक संख्या में मनपसंद निबंधन संख्याओं के विकय/आवंटन किये जाने पर अतिरिक्त विकय/आवंटन के लिए भी प्रोत्साहन राशि (Incentive) दिया जा सकेगा।

- (ii) उपर्युक्त निर्धारित प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा रुपान्तरण किया जा सकेगा और विभाग द्वारा इसे अंशतः / पूर्णतः वापस भी लिया जा सकेगा।
- (iii) प्रोत्साहन राशि (Incentive) दिये जाने की प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् प्रभावी होगा। 2. बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।

Dated 22nd April 2021

- No. -02 / E-Parivahan-06/2018/Pari 2673— In exercise of the powers conferred by the sub rule-14(b) of rule-64 of Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule 1992, the sub rule-(4) of the said rule shall be replaced by the following:-
- 4(a) Allotment of the above fancy registration numbers shall be made through online bid (e-bid) in a transparent manner and no incentive amount shall be paid for it.
- 4(b)(i) Separate incentive amount shall be given to the dealer by the department for encouraging the buyers for having choice registration number notified by the department and on sell of every category of choice registration number on following rate and conditions-

Choice Registration number	No. of minimum booking in three months	Incentive amount
Sl. no. (b)	10	5% of the base price
SI. no. (c)		5% of the base price
SI. no. (d)	15	7% of the base price
Sl. no. (e)		7% of the base price

Separate incentive shall be given if more choice registration number is sold/alloted than minimum limit as prescribed above.

- Above specified incentive could be enlarge, amend, change and transform by the department and could be withdrawn by the department partially/totally.
- (iii) The process of the imparting incentive could be notified by the Transport Department.
- 2. This notification shall come into force after five working days from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar. Sanjay Kumar Agarwal, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 310-571+10-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in